BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

राज्य विधानमण्डल (The State Legislature)

संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमण्डल का संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, शक्तियों एवं विशेषाधिकार आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि "प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से तथा कुछ राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा।" दो सदन क्रमशः विधानसभा तथा विधानपरषिद् हैं। इसमें विधानसभा निम्न सदन तथा विधानपरिषद् उच्च सदन कहलाती है। राज्य का विधानमण्डल एकसदनात्मक हो या द्विसदनात्मक होगा, इस बात का निर्णय का अधिकार राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं भारतीय संसद को ही प्राप्त है।

विधानसभा – प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है, जिसे विधानसभा कहते हैं। राज्य की व्यवस्थापिका में विधानसभा, विधानमण्डल का निम्न सदन होता है। इस सदन में प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है।

विधानसभा की संरचना

विधानसभा, विधानमण्डल का निम्न सदन एवं लोकप्रिय सदन है। जिन राज्यों में विधानमण्डल के दो सदन हैं वहॉ विधानसभा अधिक शक्तिशाली है।

1. **सदस्य संख्या** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार, अनुच्छेद 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 तथा

कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निर्धारित करते समय पिछली जनसंख्या के ऑकडे लिये जाते हैं, जो पिछली जनगणना में प्रकाशित किये गये थे। वर्त्तमान में वर्ष 1971 के जनगणना के अनुसार ही निश्चित एवं प्रकाशित किए गये है। 84वें संवैधानिक संशोधन(2002) के आधार पर सभी राज्यों के विधानसभाओं की सदस्य संख्या 2026 तक यथावत् रहेगा।

2. **आरक्षण** – राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। एंग्लो इण्डियन समुदाय को यदि किसी राज्य के चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है तो राज्यपाल स्वेच्छा से उस समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है।
3. **निर्वाचन पद्वति** – विधानसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार की पद्वति अपनायी गयी है।
4. **सदस्यों की योग्यताएँ** – विधानसभा सदस्य के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई है।
   - (i) वह भारत का नागरिक हो।
   - (ii) 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
   - (iii) किसी न्यायालय द्वारा पागल, दिवालिया न घोषित किया गया हो।
   - (iv) संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार विधानसभा के लिए अयोग्य न हो।
   - (v) भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न किये हो।
5. **कार्यकाल, वेतन–भत्ते तथा शपथ** – संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन इस निश्चित अवधि के पूर्व भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में संघीय संसद कानून बनाकर किसी राज्य विधानसभा की अवधि अधिक–से–अधिक एक समय में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है। आपात स्थिति की समाप्ति के बाद यह स्थिति केवल 6 माह

तक लागू रह सकती है। विधानसभा के सदस्यों का वेतन विधानमण्डल द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। विधानसभा सदस्य राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं।

6. **विधानसभा के पदाधिकारी** – विधानसभा के अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष के लिए चुन लेते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष का पद अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। वह सदन की मर्यादा एवं सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षक होता है। अध्यक्ष को 5 वर्षो के लिए निर्वाचित किया जाता है। विधानसभा भंग होने पर उसे अपना पद त्यागना नहीं पड़ता है बल्कि वह नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है। परन्तु इन अवधि के समाप्त होने के पूर्व भी अन्य कारणों से हटाया जा सकता है। यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य न रहे तो उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। वह अपनी स्वेच्छापूर्वक त्याग–पत्र दे सकता है।

विधानसभा के कार्य एवं शक्तियॉ – एक सदनीय विधानमण्डल में सभी शक्तियों का प्रयोग विधानसभा द्वारा किया जाता है तथा जिन राज्यों में विधानमण्डल द्विसदनीय है वहॉ पर भी विधानसभा अधिक प्रभावशाली है।

1. **विधायी शक्तियॉ** – राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को प्राप्त है। मूल रूप से राज्य सूची में 66 विषय तथा समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। साधारण विधेयक राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किये जा सकते हैं किन्तु इसके संबंध में अन्तिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। यदि विधानमण्डल द्विसदनीय है तो विधेयक विधानसभा से पास होकर विधानपरिषद् के पास जाता है। विधानपरिषद् यदि उसे रद्व कर दे या 3 माह तक उस पर कोई कार्यवाही न करे या उसमें ऐसे संशोधन कर दे, जो विधानसभा को स्वीकार न हो, तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पास कर सकती है और उसे दोबारा विधानपरिषद् के पास भेजा जाता है, यदि विधानपरिषद् उस बिल पर दोबारा एक माह तक कोई कार्यवाही न करे या या उसे दोबारा रद्व कर दे या उसमें संशोधन कर दे, जो विधानसभा को स्वीकृत न हो तो तीनों अवस्थाओं में यह बिल दोनों सदनों से पास समझा जायेगा। दोनों सदनों या एक सदन से पास होने के बाद बिल राज्यपाल के

पास जाता है, वह उसपर अपनी स्वीकृति भी दे सकता है अथवा उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकता है। यदि राज्यपाल दोबारा विचार के लिए निर्देशों अथवा बिना निर्देशों के सदन को वापस कर सकता है, परन्तु यदि विधानसभा या विधानमण्डल उस बिल को दोबारा पास करके राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज देता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देना बाध्यता होगी।

2. **वित्तीय शक्ति** – विधानसभा का राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और न ही कोई राशि खर्च कर सकती है। जहॉ द्विसदनीय विधानमण्डल है, वहॉ धन विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद विधानपरिषद् में भेजा जाता है, जिसे विधानपरिषद् अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। विधानपरिषद् को 14 दिनों के अन्दर सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटाना होता है। विधानसभा, विधानपरिषद् की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, जिसे धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है।
3. **कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति** – विधानसभा का मंत्रिपरिषद् पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद् अपने समस्त कार्यो व नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा के सदस्य मंत्रियों की आलोचना कर सकते हैं, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकती है। विधानसभा मंत्रिपरिषद् के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव पास करके अथवा धन विधेयक को अस्वीकृत करके तथा मंत्रियों के वेतन में कटौती करके अथवा सरकार के किसी महत्वपूर्ण विधेयक को अस्वीकृत करके मंत्रिपरिषद् को त्याग–पत्र देने के लिए मजबूर कर सकती है।
4. **संविधान संशोधन की शक्ति** – हमारे संविधान की कुछ धाराऍ ऐसी हैं जिसमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमण्डल द्वारा स्वीकार किया जाय। इस प्रकार विधानमण्डल संविधान संशोधन कार्य में भी अपनी भागीदारी निभाती है।

5. **<u>निर्वाचन संबंधी शक्ति</u>** – राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य ही राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य अपने में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनते हैं। विधानसभा के सदस्य विधानपरिषद् के 1/3 सदस्यों को चुनते हैं।